राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक विविध (पे.) संख्या 2537/2024

सीमा चौधरी पत्नी प्रकाश चौधरी, उम्र लगभग 36 वर्ष, निवासी गुढ़ा गंगापुर थाना, भीलवाड़ा।

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, पी.पी. के माध्यम से

2. लोकेश पुत्र रतन लाल जाट निवासी गुढ़ा गंगापुर थाना भीलवाड़ा

----प्रतिवादीगण

अपीलार्थी(गण) के लिए : श्री दिलीप सिंह उदावत

प्रतिवादी(गण) के लिए : मोहम्मद जावेद गौरी, पीपी

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

<u>आदेश</u>

<u>09/07/2024</u>

1. याचिकाकर्ता/शिकायतकर्ता इस न्यायालय के समक्ष अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा द्वारा पारित दिनांक 26.03.2024 के आदेश को चुनौती दे रहा है, जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा सीआरपीसी की धारा 311 के तहत दायर आवेदन को खारिज कर दिया गया था, जिसमें घटना के समय ड्यूटी पर मौजूद महिला कांस्टेबल को बुलाने की मांग की गई थी। विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भीलवाड़ा द्वारा पारित दिनांक 04.04.2024 के पुनरीक्षण न्यायालय के आदेश को भी यहां चुनौती दी गई है, जिसमें पुनरीक्षण को खारिज कर दिया गया था।

2. सुनवाई हुई।

3. यह अभिकथन किया गया है कि आरोप-पत्र के साथ गवाहों की सूची प्रस्तुत की गई थी। एक प्रत्यक्षदर्शी विमला को अभियोजन पक्ष द्वारा अनजाने में सूची में शामिल नहीं किया गया था, जिसके कारण धारा 311 के तहत आवेदन दायर किया गया, जिसे खारिज कर दिया गया। इसलिए, वर्तमान याचिका।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने मामले की प्रत्यक्षदर्शी गवाह विमला, जो कि एक महिला कांस्टेबल है, को न्यायपूर्ण निर्णय के लिए गवाह के रूप में बुलाने की आवश्यकता बताई है। संहिता की धारा 311 न्यायालय को महत्वपूर्ण गवाहों को बुलाने का अधिकार देती है, भले ही उन्हें पहले से ही गवाह के रूप में नहीं बुलाया गया हो। यदि अभियोजन पक्ष द्वारा गवाह से पूछताछ न करने में कोई लापरवाही या गलती होती है, तो इससे न्याय में चूक होगी।

5. इसके विपरीत विद्वान पीपी ने कहा है कि आक्षेपित आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुकदमा अग्रिम चरण में है और अंतिम बहस के लिए तय है। इसलिए, वर्तमान याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

6. आक्षेपित दोनों आदेशों का अवलोकन करने के बाद, ऐसा प्रतीत होता है कि चूंकि मुकदमे का चरण अंतिम बहस के स्तर पर था, इसलिए विद्वान न्यायालयों के मन में प्रश्नगत गवाह को बुलाने के लिए और समय न देने का भारी दबाव था।

7. इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस चरण पर गवाह को बुलाने से मुकदमे की कार्यवाही में देरी होगी, जो अंतिम चरण में है, लेकिन साथ ही यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि जिस गवाह को इस चरण पर बुलाने की मांग की जा रही है, वह एक महत्वपूर्ण गवाह है, जैसा कि मामले के तथ्यों से पता चलता है।

8. वह संबंधित समय पर ड्यूटी पर कांस्टेबल थी और इतना ही नहीं, उसे प्रत्यक्षदर्शी भी बताया गया है। इसी आधार पर उक्त महिला कांस्टेबल ने संबंधित घटना के बाद शिकायतकर्ता का पहला बयान दर्ज किया था।

9. सामान्यतः, शिकायतकर्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि उक्त महिला कांस्टेबल का नाम अभियोजन पक्ष/शिकायतकर्ता के गवाहों की सूची में डाला जाए, लेकिन न्यायालय द्वारा पूछे जाने पर, याचिकाकर्ता/शिकायतकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि यह निचली अदालत के समक्ष शिकायतकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील की ओर से सरासर लापरवाही थी और उक्त चूक के लिए, शिकायतकर्ता को इसके परिणामस्वरूप होने वाले परिणामों को नहीं भुगतना चाहिए।

10. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा पूर्वोक्त स्पष्ट स्वीकारोक्ति के मद्देनजर और न्याय के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए, सीआरपीसी की धारा 311 के तहत दायर याचिकाकर्ता के आवेदन को स्वीकार किया जाता है और आक्षेपित आदेशों को रद्द किया जाता है। याचिकाकर्ता/अभियोजन पक्ष को निचली अदालत द्वारा बुलाए जाने के बाद उक्त महिला कांस्टेबल की जांच करने का एक प्रभावी अवसर दिया जाएगा।

11. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश का यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि यदि विचारण न्यायालय अपने विवेक का प्रयोग करते हुए मामले को लंबित कार्य के कारण स्थगित करना चाहता है, तो वह ऐसा करने के लिए स्वतंत्र है।

12. तदनुसार निपटारा किया जाता है।

13. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का भी निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।
अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।